जैनेटिक टेस्ट (जैविक परीक्षण)

पन्द्रहवें सेमिनार में जैनेटिक टेस्ट के बारे में भी फ़िक्ही दृष्टिकोण तय किया गया। निम्न बातों पर सहमति हुई।

1- अगर जैनेटिक टेस्ट के ज़रिए यह साबित हो जाए कि औरत के पेट में पल रहा बच्चा बौद्धिक या शरीरिक रूप से अपंग है और उसका इलाज भी मुमकिन नहीं है तथा पैदाइश के बाद उसका जीवन उसके अपने लिए और घर वालों के लिए एक बोझ होगा तो ऐसी स्थिति में गर्भ को 120 दिन पूरे होने से पहले ख़त्म करा देना जायज़ होगा।

2- अगर टेस्ट के ज़रिए यह पता चले कि किसी आदमी की अगली पीढी में अपंगता की सम्भावनाएं हैं, तो इस आशंका से गर्भधारण या पैदाइश को रोकना पूरी तरह नाजायज़ है।

3- अगर जैवकि परीक्षण के ज़रिए किसी आदमी के बारे में यह आशंका हो कि वह किसी ऐसी बीमारी से ग्रस्त हो सकता है जिसके आधार पर शरई रूप से निकाह ख़त्म किया जा सकता हो, तो निकाह ख़त्म कराने के लिए केवल यह परीक्षण ही पर्याप्त नहीं होगा।

4- इलाज के मक़सद से और खोज व तहक़ीक़ के लिए जैनेटिक टेस्ट कराना और विज्ञान के इस चमत्कार से फ़ायदा उठाना जायज़ है।

☆☆☆